फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री गणेशलाल कीर पिता देवीलाल कीर निवासी ओडा नाकली तहसील व जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द

— **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 60/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.08.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :— सू0अ0,05/2025/41 दिनांक 07.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री गणेशलाल कीर पिता देवीलाल कीर निवासी ओडा नाकली तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील श्रीमान् को प्रस्तुत की गई है, जो इस कार्यालय को दिनांक 05.08.2025 को प्राप्त हुई। इस कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई/2025/39 दिनांक 20.06.2025 को प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपूर्ण होने से पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया गया था। अतः प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक आवेदन पत्र की कमी पूर्ति नहीं की गई, जिससे प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अतः विचाराधीन अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से विचाराधीन प्रथम अपील को इसी स्तर पर खारिज/निरस्त करने का श्रम करावे। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना बाबत लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/39 दिनांक 20.06.2025 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना बाबत पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की कमी पूर्ति नहीं की गई जिससे अपीलार्थी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना	

	अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के यहॉ कमी पूर्ति न कर प्रथम अपील पेश की हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता हैं और अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में पूर्ण विवरण / विशिष्टिया अंकित कर नियमानुसार आवेदन करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)